



2026:AHC-LKO:19684-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट संख्या सी - 1453 वर्ष 2026

यूसुफ अल हुसैनी

.....याची

बनाम

भारत संघ, सचिव, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और 3 अन्य के माध्यम से।

.....विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : अनुज दयाल, अंकित कुमार त्रिवेदी

विपक्षीगण के अधिवक्ता : भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल,
मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार त्रिवेदी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डीएसजीआई श्री एस.बी. पांडे, जिनके साथ विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे भी उपस्थित थे, की दलीलें सुनीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

"i. याचिकाकर्ता (नवीकरण आवेदन संख्या LK3076080242525) के पक्ष में पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है।"

ii. परमादेश प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे विधि के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किए बिना पासपोर्ट का नवीनीकरण न रोकें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले का निपटारा इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पवन कुमार राजभर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 2 अन्य; रिट-सी संख्या 41540 ऑफ 2023 न्यूट्रल साइटेशन संख्या-2024:एचसी:9963-डीबी में दिए गए फैसले के आलोक में किया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील का प्रतिवादी की ओर से उपस्थित भारत के उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडे ने खंडन किया है। उनका कहना है कि पवन कुमार राजभर (उपरोक्त) के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य; याचिका(एं) विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 7481/2024 दिनांक 20.09.2024 के निर्णय एवं आदेश द्वारा संशोधित किया है।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीमती रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य; रिट-सी संख्या 6450/2024; न्यूट्रल साइटेशन संख्या 2024:एचसी:35201-डीबी में, इस अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय की खंड पीठ ने पवन कुमार राजभर (उपरोक्त) के फैसले को दोहराया था। हालांकि, दिनांक 10.10.2019 के ज्ञापन संख्या VI/401/1/5/2019 के संबंध में संपूर्ण स्थिति की जांच करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीता वर्मा (उपरोक्त) में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

"4. ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने चुनौती दिए गए आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि कार्यालय ज्ञापन वैधानिक स्थिति के विपरीत है और रिट याचिका को खारिज कर दिया।"

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मलक मनीष भट्ट और भारत संघ की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज की दलीलें सुनीं। माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और विधि द्वारा समर्थित नहीं है, तथा यह भारत संघ का भी मत नहीं है। माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कार्यालय ज्ञापन के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं जताई।

6. इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए यह निर्देश देना पर्याप्त होगा कि अधिकारी पासपोर्ट नवीनीकरण के आवेदन पर दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन या इस क्षेत्र में लागू होने वाले किसी अन्य बाद के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर विचार करें, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 6450/2024 दिनांक 28.02.2024 को पारित आदेश के बावजूद, उचित आवेदन प्राप्त होने पर, उसका यथाशीघ्र निपटारा किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हमारा यह मत है कि अधिकारियों को दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन या इस क्षेत्र में लागू होने वाले किसी अन्य बाढ़ के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर याचिकाकर्ता के नए पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीता वर्मा (उपरोक्त) मामले में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय दिया है। रीता वर्मा (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि वर्तमान मामले में लागू होगा, इसलिए हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इस विषय से संबंधित विधि के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई करें।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

मार्च 18, 2026

अखिलेश/-

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।